सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या –1785 / 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. लादी पत्नी सुखदेव जाति कीर
2. मदन पुत्र सुखदेव जाति कीर
3. महावीर पुत्र सुखदेव जाति कीर
4. गोपाल पुत्र सुखदेव जाति कीर
5. नर्बदा पुत्री सुखदेव जाति कीर
6. सुगनी पुत्री सुखदेव जाति कीर

तमाम निवासीगण पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. श्रीमति घीसी पत्नि सुवालाल जाति कीर
2. सांवरलाल पुत्र सुवालाल जाति कीर
3. शंकरलाल पुत्र सुवालाल जाति कीर

तमाम निवासीगण पिपलाज तह. सावर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–14.5.18

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प पारा में पेश हुई। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप मे ंविवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेशकर निवेदन किया है कि ग्राम पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 740 के खसरा नम्बर 2800 / 713,2801 / 722,2802 / 736 कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 है. जर्ये नामान्तरण से खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी पेतृक आराजीयात है। जो वादीगण के कब्जेकाश्त ,उपयोग , में चली आ रही है। प्रतिवादीगण की बद नियत होने से उनका कोई हक हिस्सा अधिकार कब्जा दखल नहीं है। वादीगण के ग्राम पिपलाज में नही रहने का नाजायज फायदा उठाते हुये प्रतिवादीगण , वादीगण की उक्त आराजीयात पर जबरन लकडी के बल पर नाजायज रूप से अवैध कब्जा करना चाहते है। अतः वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण एवं उनके नोकर चाकर, सीरी ,हाली , परिवार के सदस्य , प्रतिनिधि आदि को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादीगण की उक्त वादग्रस्त आराजीयात के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। वाद स्वीकार फरमावें।

वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्राथीगण स. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक पालीवाल ने पावर पेश किया । दिनांक 6.4.2018 को अप्रार्थीगण को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया गया । पत्रावली केम्प कोर्ट पिपलाज में पेश हुई । पत्रावली में जवाब सरकार पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

वादग्रस्त आराजी ग्राम पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 740 के खसरा नम्बर 2800 / 713,2801 / 722,2802 / 736 कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 है. जर्ये नामान्तरण से खातेदार होने से वादी का प्रेमा फैसाई केस बनता है तथा वाद पत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादग्रस्त आराजी ग्राम पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 740 के खसरा नम्बर 2800 / 713,2801 / 722,2802 / 736 कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 है. जर्ये नामान्तरण से खातेदार से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की वाद वर्णित आराजीयात में कब्जेकाश्त , उपयोग ,उपभोग एवं स्वामित्व मे ंकिसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगें । डिक्री पर्चा जारी हो। *पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।*

निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गयां।

उपखण्डअधिकारी
केकडी